

प्रेस-नोट थाना खजनी गोरखपुर दिनांक 25.06.2022

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में इकरार अहमद प्रभारी निरीक्षक थाना खजनी जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में उ0नि0 दिनेश कुमार पाण्डेय मय हमराहीयान के अटल मार्का ईट भट्टे के पास से कच्ची शराब बनाने के उपकरण व अवैध अपमिश्रित कच्ची 55 लीटर शराब के साथ दो अभियुक्त 1. धनपत चौहान पुत्र राजकुमार चौहान निवासी ग्राम नेवाजी बिगहा थाना मानपुर जनपद नालन्दा (बिहार) 2. विजय कुमार पुत्र राजेश निवासी मुरतो थाना चान्हो जिला राची झारखण्ड हाल मुकाम अटल मार्का ईट भट्टे के बगल झुग्गी झोपड़ी थाना खजनी जनपद गोरखपुर को दिनांक 24.06.2022 को समय 20.15 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 177/2022 व 178/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. धनपत चौहान पुत्र राजकुमार चौहान निवासी ग्राम नेवाजी बिगहा थाना मानपुर जनपद नालन्दा (बिहार)
2. विजय कुमार पुत्र राजेश निवासी मुरतो थाना चान्हो जिला राची झारखण्ड हाल मुकाम अटल मार्का ईट भट्टे के बगल झुग्गी झोपड़ी थाना खजनी जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 177/2022 व मु0अ0सं0 178/2022 धारा 60/63 आब0अधि0 थाना खजनी गोरखपुर

बरामदगी-

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब 55 लीटर व शराब बनाने का उपकरण

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. उ0नि0 दिनेश दिनेश कुमार पाण्डेय थाना खजनी
2. उ0नि0 देव प्रकाश यादव थाना खजनी गोरखपुर
3. का0 संतोष यादव थाना खजनी गोरखपुर
4. का0 नन्दन शर्मा थाना खजनी गोरखपुर
5. का0सुनिल यादव थाना खजनी गोरखपुर
6. का0 कमल शुक्ला थाना खजनी गोरखपुर